झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांकः-04/कृ0के0यो0(PDMC)-14/2024 24 /कृ0, राँची, दिनांकः- 26.06.2024

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक तौर पर परामर्शित

द्वाराः विभाग के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्य हेतु केन्द्रांश रू. 3000.00 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू. 2000.00 लाख, अतिरिक्त राज्यांश रू. 3181.82 लाख एवं कृषकांश रू. 1052.43 लाख इस प्रकार कुल रू. 9234.25 लाख (बानबे करोड़ चौंतीस लाख पच्चीस हजार रूपये) की लागत पर योजना के कार्यान्वयन एवं रू. 8181.82 लाख (एकासी करोड़ एकासी लाख बयासी हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-13-22/2023-PC दिनांक-14.12.2023 के द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना हेतु केन्द्रांश रू. 3000.00 लाख (तीस करोड़ रूपये) का उद्व्यय संसूचित किया गया है। इस क्रम में दिनांक-21.03.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में Consolidated Annual Action Plan की स्वीकृति हेतु State Level Steering Committee (SLSC) की बैठक के द्वारा उक्त उपयोजना हेतु कृषकांश सहित कुल राशि रू. 11483.31 लाख (एक अरब चौदह करोड़ तेरासी लाख एकतीस हजार रूपये) की कार्य योजना पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

02. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-400 दिनांक-19.06.2023 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि के लिए केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने संबंधी परामर्श दिया गया है।

03. उपर्युक्त के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना हेतु केन्द्रांश रू. 3000.00 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू. 2000.00 लाख, अतिरिक्त राज्यांश रू. 3181.82 लाख एवं कृषकांश रू. 1052.43 लाख इस प्रकार कुल रू. 9234.25 लाख (बानबे करोड़ चौंतीस लाख पच्चीस हजार रूपये) की लागत पर योजना के कार्यान्वयन एवं रू. 8181.82 लाख (एकासी करोड़ एकासी लाख बयासी हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

04. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न बजटीय शीर्षान्तर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी :-

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-02-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सब्सिडी 01C240100796AG020652	787.00
	52-सब्सिडी 01S240100796AG020652	524.67
	52-सब्सिडी 01X240100796AG020652	834.70

ADP 26/06/24

DDP 25/06/24

6140/CMail 25/6/24

2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-02-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100109AG020652 52-सबसिडी 01S240100109AG020652 52-सबसिडी 01X240100109AG020652	 1851.00 1234.00 1963.18
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-02-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100789AG020652 52-सबसिडी 01S240100789AG020652 52-सबसिडी 01X240100789AG020652	 362.00 241.33 383.94
	कुल योग	8181.82

(एकासी करोड़ एकासी लाख बयासी हजार रूपये) मात्र।

05. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

06. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के Per Drop More Crop की मार्गदर्शिका, मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में गठित State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

07. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु केन्द्रांश रू. 2834.00 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू. 1889.34 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रू. 3155.50 लाख इस प्रकार कुल रू. 7878.84 लाख का बजटीय उपबंध उपलब्ध है, जबकि इस स्वीकृत्यादेश द्वारा केन्द्रांश रू. 3000.00 लाख, अनिवार्य राज्यांश रू. 2000.00 लाख, अतिरिक्त राज्यांश रू. 3181.82 लाख इस प्रकार कुल रू. 8181.82 लाख (एकासी करोड़ एकासी लाख बयासी हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्णित स्थिति में अतिरिक्त राशि का प्रावधान अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा। वर्तमान में स्वीकृत बजटीय उपबंध अन्तर्गत उपलब्ध राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा एवं अनुपूरक से राशि आगमन के पश्चात आगणित राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन पर किया जा सकेगा।

08. Per Drop More Crop उपयोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्य राज्य के सभी 24 जिलों में किया जायेगा। दिनांक-21.03.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में Consolidated Annual Action Plan की स्वीकृति हेतु State Level Steering Committee (SLSC) की बैठक की कार्यवाही की परिशिष्ट-V में योजनान्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की विवरणी अंकित है।

09. वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर निर्धारित ईकाई मूल्य को सभी कर सहित अनुमान्य किया जायेगा तथा लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए कुल अनुदान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के ईकाई लागत का 90% तथा अन्य कृषकों के लिए 80% सहायता प्रदान किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

कृषक का प्रकार	दिनांक-01.04.2018 के बाद सहायता का स्वरूप			
	केन्द्रांश	अनिवार्य राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश	कुल अनुदान
लघु एवं सीमांत	33%	22%	35%	90%
अन्य	27%	18%	35%	80%

कृषक अंशदान के रूप में लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा ईकाई लागत का केवल 10% तथा अन्य कृषकों द्वारा ईकाई लागत का केवल 20% ही वहन किया जायेगा।

10. इस योजना अन्तर्गत प्रशासनिक मद में राशि का व्यय State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप किया जायेगा।

11. भारत सरकार की मार्गदर्शिका की कंडिका-13.4 के आलोक में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम-से-कम 50 प्रतिशत उपबंध का उपयोग लघु एवं सीमांत किसानों पर किया जाय, जिसमें कम-से-कम 30 प्रतिशत महिला लाभुक होना चाहिए। कुल उपबंध का 16.5 प्रतिशत एवं 8.5 प्रतिशत अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिले में समानुपातिक जनसंख्या पर उपयोग SCSP एवं TSP मद से किया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में निम्न कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी :-

(i) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) कार्यक्रम के तहत साहेबगंज जिले अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों में सुपात्र किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का अधिष्ठापन किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा ध्यान रखा जायेगा कि योजना डूब क्षेत्र में न आता हो।

(ii) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में सुपात्र किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का अधिष्ठापन।

(iii) आकांक्षी जिलों में सुपात्र किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का अधिष्ठापन।

(iv) जल संसाधन विभाग द्वारा Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) के तहत पूर्ण परियोजनाओं के सिंचन-क्षेत्र में सुपात्र किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का अधिष्ठापन।

(v) सभी स्थापित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का Geo Tagging अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

13. योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि का अंतरण भारत सरकार के गाईडलाइन के अनुरूप प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से निम्नरूप से किया जायेगा :-

क. कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर अनुदान की राशि कृषकों के बैंक खाते में अंतरण किया जायेगा।

ख. बैंक ऋण के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर संबंधित बैंक को अनुदान की राशि अंतरण किया जायेगा।

ग. कृषकों के लिखित अनुरोध पर कम्पनी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने पर संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरण किया जायेगा।

14. वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत PFMS की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. भारत सरकार की नई मार्गदर्शिका 2023 के कंडिका 18.4 के आलोक में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में उपयोग हो रहे प्लास्टिक प्रॉडक्ट का वित्तीय वर्ष 2024-25 में Random Basis पर Testing भारत सरकार की संस्था CIPET, हेहल, राँची से वित्तीय वर्ष 2022-23 में SLSC द्वारा स्वीकृत दर एवं निर्धारित राशि (अधिकतम रू. 10.00-12.00 लाख) के अन्तर्गत करायी जायेगी। जाँच पर होने वाला व्यय मार्गदर्शिका की कंडिका 18.7 के आलोक में प्रशासनिक मद से की जायेगी।

16. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परामर्शी सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड (NABCONS) एवं अन्य संस्था को तृतीय पक्ष भौतिक सत्यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति ईकाई रू. 1210.00 + GST की दर से भुगतान किया जायेगा।

17. गत वर्ष की unfinished/Spill over activities as also the committed liabilities का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि से किया जायेगा।

18. योजना अन्तर्गत अधिकतम 5.00 हे0 प्रति लाभुक योजना का लाभ दिया जायेगा।

19. योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले में पूर्व से अधिष्ठापित सफल सिस्टम पर अन्य कृषकों का Exposure कराने का दायित्व संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी का होगा।

20. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका 2023 की कंडिका-18.2 के आलोक में संबंधित जिले के जिला कृषि पदाधिकारी, संबंधित कम्पनी के प्रतिनिधि एवं SNO/JDA की Joint Inspection Team का गठन किया जायेगा और वे System अधिष्ठापन के 03 वर्षों के अन्दर field से periodically, random sample draw करेंगे। कम-से-कम एक general surveillance visit प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

21. इस योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन किया जायेगा।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यदि सदृश्य योजना या कार्य के विरूद्ध दूसरे श्रोत से राशि का व्यय किया जा रहा है या राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो वर्तमान स्वीकृत राशि की निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु वे इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को देंगे।

23. योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो, इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। व्यय से संबंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा।

24. स्वीकृत राशि के व्यय के पश्चात विस्तृत व्यय वितरणी एवं योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।

25. इस योजना का अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ समन्वय एवं अभिसरण (Convergence) किया जायेगा।

26. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27. योजना के कार्यान्वयन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में निर्गत संकल्प सं0-3172 दिनांक-25.10.2012 तथा विभागीय आदेश सं0-3688 दिनांक-05.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-1269 दि0-21.09.2023 की कंडिका-8 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

29. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर वित्तीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

30. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

20-06-2024

ज्ञापांकः-04/कृ0के0यो0(PDMC)-14/2024 24 -/रांची, दिनांकः- 20.06.2024

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-04/कृ0के0यो0(PDMC)-14/2024 24 -/रांची, दिनांकः- 20.06.2024

प्रतिलिपि-कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-04/कृ0के0यो0(PDMC)-14/2024 24 -/रांची, दिनांकः- 20.06.2024

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव